न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0—04, बुलन्दशहर।

दाण्डिक प्रकीर्ण सं0—10 सन् 2010,

सरकार————————— बनाम ——————————————— कलुवा

अन्तर्गत धारा—446 दं0प्र0सं0

आदेश

दिनांक—14.09.2024

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पुकार कराई गयी, पुकार पर प्रार्थीगण हुक्म सिंह, नत्थूराम एवं सचिन पुत्र वीरपाल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है।

प्रार्थीगण द्वारा इस आशय का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने कलुवा पुत्र रामलाल की आबादी की जमीन खरीदी थी, जिसमें कलुवा ने अभियुक्त साबू पुत्र बाबू की जमानत ली थी, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। कलुवा की जमीन का कुछ हिस्सा वीरपाल ने दिनांक—20.06.2023 को खरीदा था और शेष हिस्सा हुक्म सिंह व नत्थूराम ने दिनांक—14.02.2011 को खरीद लिया था। वे बहुत ही गरीब हैं व मजदूरी करके अपने परिवार का पालन—पोषण करते हैं। उपर्युक्त कथन के साथ वाद में कम से कम जुर्माने से दण्डित कर वाद समाप्त किये जाने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि जमानतदार कलुवा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या—112 सन् 2004 की पत्रावली में अभियुक्त साबू की जमानत ली गयी थी तथा दिनांक—12.03.2010 को न्यायालय के आदेशानुसार जमानतदार कलुवा के विरूद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज किया गया।

पत्रावली पर तहसीलदार स्याना की रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसमें यह रिपोर्ट अंकित है कि जमानती कलुवा ग्राम रानापुर में नहीं रहता है। क्षेत्रीय लेखपाल से सम्पत्ति के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि बाकीदार के नाम गाटा संख्या—263 के रकबा 0.0510 हे0 पर बतौर सह—खातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

प्रार्थीगण हुक्म सिंह, नत्थूराम एवं सचिन द्वारा संयुक्त रूप से यह निवेदन किया गया है कि वे बहुत गरीब व्यक्ति है तथा मजदूरी करके अपने परिवार का पालन—पोषण करते हैं और उन्होंने जमानती कलुवा की जमीन खरीदी थी, परन्तु कलुवा द्वारा अभियुक्त साबू की जमानत लेने की जानकारी उन्हें नहीं थी है। प्रार्थीगण द्वारा कम से कम धनराशि जमा करने की प्रार्थना की गयी है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण हुक्म सिंह, नत्थूराम एवं सचिन प्रत्येक द्वारा मु0 2,000—2,000/—रुपये शास्ति जमा करने पर वाद का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित दस्तावेजों को वर्तमान मामले में किसी भी भार से मुक्त किया जाता है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अभिमन्यु सिंह)

दिनांक—14.09.2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0—04, बुलन्दशहर।

Steno-Hemant Kumar **J.O. Code-UP6415**

Digitally signed by ABHIMANYOU SINGH
Date: 2024.09.23 12:41:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court